अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुये एसओजी चमोली ने 851 ग्राम अवैध चरस के साथ 02 तस्करों को किया गिरफ्तार

आगामी विधानसभा उप चुनाव के दृष्टिगत अवैध गतिविधियों के खिलाफ चमोली पुलिस का चैकिंग अभियान लगातार जारी

आगामी विधानसभा उप चुनाव-2024 को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद में श्री सर्वेश पंवार, पुलिस अधीक्षक चमोली महोदय के निर्देशानुसार अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु लगातार चलाए जा रहे चैकिंग अभियान व ड्रग फ्री देवभूमि 2025 अभियान के क्रम में एसओजी चमोली द्वारा जाल बुनते हुये दिनांक 01/07/2024 को लीसा बैंड वृद्धा आश्रम के पास से दो लोगों 1- भूपेन्द्र रावत पुत्र स्व. प्रताप रावत निवासी ग्वाड देवलधार थाना गोपेश्वर जिला चमोली उम्र-26 वर्ष को 425 ग्राम ग्राम तथा 2- अंकुश भारती पुत्र स्व. देवी लाल निवासी क्यार्की देवलधार थाना गोपेश्वर जिला चमोली उम्र 19 वर्ष को 426 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों के कब्जे से कुल 851 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गोपेश्वर पर मु0अ0सं0- 20/24 धारा - 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

आगामी विधानसभा उपचुनाव के दौरान अवैध मादक पदार्थों/शराब/शस्त्र की तस्करी व अन्य अवैध गतिविधियों की निगरानी हेतु चमोली पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय है,अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नही जाएगा।

नाम पता अभियुक्त-
1- भूपेन्द्र रावत पुत्र स्व. प्रताप रावत निवासी ग्वाड देवलधार थाना गोपेश्वर जिला चमोली उम्र-26 वर्ष
2- अंकुश भारती पुत्र स्व. देवी लाल निवासी क्यार्की देवलधार थाना गोपेश्वर जिला चमोली उम्र 19 वर्ष

पुलिस टीम-
1- उ0नि0 ध्वजवीर पंवार प्रभारी एसओजी
2- हे0कां0 अंकित पोखरियाल (एसओजी)
3- हे0कां0 दीपक कुकरेती (एसओजी)
4- कां0 आशुतोष तिवाडी (एसओजी)
5- कां0 राजेन्द्र रावत (एसओजी)
6- कां0 सलमान खान (एसओजी)
7- कां0 रविकांत आर्या (एसओजी)

1064
NIKE